परिपत्र संख्या 1067/6 /2018-सीएक्स

फा.सं.: 116/15/2017-सीएक्सएक्स-3
भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5" अक्टूबर, 2018

प्रति

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क
(चंडीगढ़, मेरठ, कोलकाता और शिलांग जोन)
डीजी, जीएसटीआई।

विषय: सिक्किम सहित जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता के वितरण के लिए पात्र इकाइयों द्वारा दावों का ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन फाइलिंग। -संबंधित

महोदया/श्रीमान,

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 05.10.2017 को अधिसूचना जारी की जिसमें "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों समेत सिक्किम। में स्थित इकाइयों के लिए माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय समर्थन की योजना" लागू की गई।

" यह योजना केवल उन इकाइयों के लिए सद्भावना के उपाय के रूप में पेश की गई थी, जो पहले उत्पाद शुल्क छूट / वापसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थीं, लेकिन इस योजना का पूर्ववर्ती योजनाओं से कोई संबंध नहीं था। बजटीय सहायता की योजना दिनांक 01.04.2015 से लागू हुई। 01.07.2017 एक पात्र इकाई के लिए (जैसा कि योजना के पैरा 4.1 के तहत परिभाषित किया गया है) और निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में (जैसा कि योजना के पैरा 4.2 में परिभाषित किया गया है) अवशिष्ट अवधि (योजना के पैरा 4.3 में परिभाषित) के लिए परिचालन में रहेगा। योजना के तहत बजटीय सहायता तिमाही आधार पर तैयार की जाती है और इसके लिए दावे भी तिमाही आधार पर दायर किए जाते हैं। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। योजना में बजटीय सहायता की राशि, उसकी वसूली प्रक्रिया आदि के निर्धारण के तरीके और तरीके का उल्लेख किया गया है।

और जनवरी से मार्च। योजना में बजटीय सहायता की राशि, उसकी वसूली प्रक्रिया आदि के निर्धारण के तरीके और तरीके का उल्लेख किया गया है।

योजना के लिए एसीईएस-जीएसटी पोर्टल।

2.1. योजना के पैरा 8.1 के अनुसार पात्र इकाइयों को एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर एक बार पंजीकरण प्राप्त करने और एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र इकाइयों द्वारा आवेदन दाखिल करने के लिए किया जाएगा। दायर किए गए आवेदन को केंद्रीय कर के उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा संसाधित और स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

2.2. योजना को लागू करने के लिए बोर्ड ने परिपत्र संख्या 1060/9/2017-सीएक्स दिनांक 27.11.2017 और 1061/10/2017-सीएक्स दिनांक 30.11.2017 जारी किया है। यह निर्णय लिया गया कि योजना के लिए इकाइयों को मैनुअल आवेदन के आधार पर पंजीकृत किया जा सकता है और सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए दावा भी दायर करने और मैन्युअल रूप से संसाधित करने का निर्देश दिया गया था। उसी को दोहराया गया है और तदनुसार जून, 2018 को समाप्त तिमाही तक यूनिटों का पंजीकरण और दावों को दाखिल करने का कार्य हाथ से किया जा रहा है।

ऑनलाइन पंजीकरण और दावों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रसंस्करण

3.1. योजना को अनिवार्य रूप से एक स्वचालित वातावरण में संचालित करने के लिए अवधारणा और अनुमोदित किया गया था। इससे बेहतर पर्यवेक्षण, लंबित मामलों की निगरानी और आवंटित धन का उपयोग और रिपोर्ट तैयार करना संभव होगा। डीजी, सिस्टम, सीबीआईसी योजना के स्वचालन से संबंधित कार्य देख रहे हैं। आईटी प्रणाली का विकास 3 चरणों में किया गया है, अर्थात्: -

(i) योजना के तहत इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण;

(ii) बजटीय सहायता के लिए पंजीकृत इकाइयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना;

(iii) निर्धारितियों के बैंक खाते में स्वीकृत बजटीय सहायता के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट और पीएफएमएस सिस्टम के साथ एकीकरण को अपलोड करना।

ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित चरण (i) के लिए आईटी सुविधा और क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रसंस्करण और मंजूरी सहित आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग से संबंधित चरण (ii) पहले ही पूरी हो चुकी है। चरण (iii) जो पीएफएमएस के साथ पोर्टल को एकीकृत करने का प्रयास करता है, विकास के अधीन है और नवंबर, 2018 तक तैयार होने की

संभावना है। इसके साथ अधिसूचना के अनुसार योजना का कुल स्वचालन लागू किया जाएगा। करदाताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे नीचे दिए गए पैरा 4 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चरण एक से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करें। अब बिना किसी अपवाद के चरण (i) और (ii) को लागू करने का प्रस्ताव है।

3.2. बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी दावे को मैन्युअल रूप से दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, 15 अक्टूबर, 2018 के बाद के सभी दावों को योजना के पैरा 8.1 . के अनुसार दायर और संसाधित करने की आवश्यकता होगी । दूसरे शब्दों में दावों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज और संसाधित करना होगा। दावों की ऑनलाइन स्वीकृति के बाद स्वीकृत राशि को बोर्ड के परिपत्र दिनांक 27.11.2017 और 30.11.2017 के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाएगा।

3.3. इसके अलावा, एसीईएस-जीएसटी प्लेटफॉर्म और पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के चरण 3- ऑनलाइन लिंकिंग के पूरा होने पर डीजी, सिस्टम, सीबीआईसी द्वारा विकास के अग्रिम चरण में है, इस संबंध में आगे की प्रक्रिया परिपत्र जारी करने के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

मौजूदा मैन्युअल रूप से पंजीकृत पात्र इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण

4. 15.10.2018 से ऑनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग मॉड्यूल को लागू करने के लिए मौजूदा मैन्युअल रूप से पंजीकृत पात्र इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। मैन्युअल रूप से पंजीकृत इकाइयों को एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नए आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी और योजना के लिए क्षेत्राधिकार उपायुक्त या केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त बिना किसी सत्यापन के और अतिरिक्त दस्तावेज मांगे बिना पंजीकरण को मंजूरी देंगे। मैनुअल पंजीकरण के पूर्व अनुमोदन के आधार पर।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मैनुअल पंजीकरण से ऑनलाइन पंजीकरण में यह संक्रमण सुचारू है और समय सीमा के भीतर हासिल किया गया है। केन्द्रीय कर के क्षेत्राधिकार आयुक्त पात्र इकाइयों को हाथ में लेकर इस संक्रमण की निगरानी करेंगे ताकि 30.09.2018 को मौजूदा मैन्युअल रूप से पंजीकृत इकाइयों में से 100% 15.10.2018 तक ऑनलाइन पंजीकृत हैं और वे 15.10.2018 को या उसके बाद ऑनलाइन दावे दर्ज करने की स्थिति में हैं। ऑनलाइन उत्पन्न विशिष्ट आईडी योजना के तहत पंजीकरण संख्या होगी और ऑनलाइन फाइलिंग, प्रसंस्करण और मंजूरी और दावों के भुगतान के लिए प्रासंगिक होगी। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ मैनुअल पंजीकरण के क्रॉस रेफरेंसिंग को डिवीजन में बनाए गए रिकॉर्ड में बनाए रखना आवश्यक है।

बजटीय सहायता योजना के पंजीकरण के लिए शामिल कदम

5. (i) 11 राज्यों (सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व) में पंजीकृत जीएसटी करदाता सीबीईसी जीएसटी पोर्टल (www.cbec-gst.gov.in) पर 'लॉगिन' के तहत अपना जीएसटीआईएन दर्ज करके लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं।

ii) GST कॉमन पोर्टल पर दाखिल किए गए REG-01/REG-26 फॉर्म में घोषित ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाता है।

(iii) वन-टाइम पासवर्ड से लॉग इन करने पर करदाता को पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाता है।

(iv) नए पासवर्ड के साथ, करदाता बजटीय सहायता योजना के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए लॉग इन कर सकते हैं।

(v) करदाता को आवेदन पत्र में दिए गए क्षेत्रों में जीएसटीआईएन के तहत सभी पात्र लोगों के लिए अनिवार्य विवरण दर्ज करना होगा।

(vi) करदाता सहायक दस्तावेज भी संलग्न कर सकता है (संख्या में 10 तक, प्रत्येक 2 एमबी से अधिक नहीं, और जेपीईजी / पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया गया।

(vii) एक बार जमा करने के बाद, आवेदन जीएसटी पंजीकरण के व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त या केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त को भेजा जाता है।

(viii) अधिकार क्षेत्र के उपायुक्त या केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त पंजीकरण की प्रक्रिया और अनुमोदन कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदन में उल्लिखित प्रत्येक इकाई के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी।

(ix) करदाता पोर्टल पर लॉग इन करके अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

6. सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए बजटीय सहायता के संवितरण के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही दाखिल किया जाएगा। बजटीय सहायता योजना के लिए उपयोगकर्ता नियमावली सीबीईसी जीएसटी पोर्टल (www.cbec-gst.gov.in) पर "'नया क्या है' और 'सेवाएं' के अंतर्गत उपलब्ध है।

7. पंजीकरण में किसी भी परिचालन कठिनाई या आईटी से संबंधित गड़बड़ियों के मामले में करदाता या अधिकारी 15.10.2018 तक पंजीकरण में आने वाली किसी भी आईटी संबंधी गड़बड़ियों के मामले में मदद करेंगे, सीबीईसी मित्र हेल्प डेस्क से 18001200232 पर संपर्क कर सकते हैं या आवश्यक सहायता के लिए cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in पर ईमेल करें।

मयंक शर्मा

ओएसडी (सीएक्स)